श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों?

18 जुलाई, 2023 को हरियाणा के राज्यपाल ने श्री माता मनसा देवी श्राइन एक्ट 1991 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का पुनर्गठन किया।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
- बोर्ड के सदस्यों में मुख्य सचिव व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव होंगे। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, पंचकूला के उपायुक्त और मुख्य प्रशासक सदस्य सचिव होंगे।
- इसी प्रकार गैर-सरकारी सदस्यों में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, लतिका शर्मा, बंतो कटारिया, पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल, पंचकुला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अरुण ग्रोवर और हरि चंद गुप्ता हैं।
- सहयोगी सदस्यों में विशाल सेठ और ईश्वर जिंदल को शामिल किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reconstitution-of-shri-mata-mansa-devi-shrine-board-panchkula